बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

संख्या–1/प्रशिक्षण नियुक्ति 04/15 श्र०सं०......................./बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 108, दिनांक 18.02.15 द्वारा प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कुल 16 (सोलह) अभ्यर्थियों को विभागीय पत्रांक 611, दिनांक 09.3.15 द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 20.3.15 को विभाग में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। निर्धारित तिथि को श्री राहुल राज उपस्थित नहीं हुये। उन्हें विभागीय पत्रांक 2158, दिनांक 03.8.15 द्वारा 15 दिन का समय दिया गया। विभागीय पत्रांक 3255, दिनांक 25.11.15 द्वारा अन्तिम रूप से 15 दिन का समय दिया गया। इसके आलोक में ये उपस्थित हुये तथा प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु नई तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया। विभागीय पत्रांक 10, दिनांक 04.01.16 द्वारा 11.01.16 को उपस्थित होने की सूचना दी गयी, किन्तु श्री राहुल राज उपस्थित नहीं हुये। एक अन्य अभ्यर्थी श्री हसन जावेद को विभागीय अधिसूचना सं० 13, दिनांक 07.5.15 द्वारा प्राचार्य के पद पर नियुक्त करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल में पदस्थापित किया गया। इन्होंने प्रभार ग्रहण करने हेतु 20.10.15 तक विस्तार देने का अनुरोध किया। विभागीय पत्रांक 1959, दिनांक 15.7.15 द्वारा 3 माह की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी। इसके बाद भी योगदान नहीं करने की स्थिति में इन्हें विभागीय पत्रांक 3254, दिनांक 25.11.15 द्वारा 15 दिन का समय दिया गया था। अन्तिम रूप से विभागीय पत्रांक 12, दिनांक 04.01.16 द्वारा 15 दिन का समय दिया गया। फिर भी श्री हसन जावेद ने प्रभार ग्रहण नहीं किया है।

2. अतएव एतद् द्वारा निम्नांकित दोनों अभ्यर्थियों की प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर उम्मीदवारी/नियुक्ति को रद्द किया जाता है :–

क्र०	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	अनुक्रमांक	मेघा क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	**श्री राहुल राज** सुपुत्र– श्री अमरेन्द्र नाथ वर्मा समीप–टिकुलिया चौक, बसन्त हार्डवेयर के सामने, चनपटिया, पश्चिम चम्पारण–845449	130680	05	01
2	**श्री हसन जावेद** द्वारा–श्री महमूद आलम ग्राम–फिरोजपुर, पो०–पचरुखी भाया–अपहर,जिला–सारण–841402	131453	18	04

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(विजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–1/प्रशिक्षण नियुक्ति 04/15 श्र०सं० 241 / पटना, दिनांक– 26/2/2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित अभ्यर्थी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/2016

सरकार के उप सचिव।

26/2/16